


घुसरी देवी पत्नी Versus खुनेरु सिंह वगैरे

Serial No.	Date of order or Proceeding	Order with the Signature of the Court Order	Office action taken with date									
1	2	3	4									
<u>26.7.10</u>	<p>ऑक्टोबिका घुसरी देवी पत्नी खुनेरु सिंह, घुसरी देवी पत्नी रुपन सिंह ग्राहक निरखरी पो. तोरेलावा जंजल खरोटी. प्रसा-गढ़वा न सिपी खुनेरु सिंह, फणहारि सिंह, मनोरा सिंह पे. स्व. हीवंग सिंह, ग्राहक निरखरी पो. तोरेलावा आगत जंजल खरोटी प्रसा गढ़वा न निगांकि बुकि बिली कले हेर आदेश पर दिना उपा है।</p> <p><u>बुकि का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राहक</th> <th>इवका</th> <th>प्लेट</th> <th>इकवा</th> <th>चीहती</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>निरखरी</td> <td>36</td> <td>823</td> <td>0.82 $\frac{2}{6}$</td> <td> 1- शिवप्रसाद सिंह 2- फुलबारी देवी 3- रसुत कचरी 4- नरसिंहो देहा वगैरे </td> </tr> </tbody> </table> <p>जंजल बटिकारी खरोटी दिनांक 19.8.10 तक आंच प्रविष्टन है।</p>	ग्राहक	इवका	प्लेट	इकवा	चीहती	निरखरी	36	823	0.82 $\frac{2}{6}$	1- शिवप्रसाद सिंह 2- फुलबारी देवी 3- रसुत कचरी 4- नरसिंहो देहा वगैरे	
ग्राहक	इवका	प्लेट	इकवा	चीहती								
निरखरी	36	823	0.82 $\frac{2}{6}$	1- शिवप्रसाद सिंह 2- फुलबारी देवी 3- रसुत कचरी 4- नरसिंहो देहा वगैरे								
<u>19.8.10</u>	<p>आंच प्रविष्टन अग्रिम दिनांक 25.11.10 तक है।</p>	<p>उप 26-10 जंजल पदाधिकारी, गृह उपासी</p>										
<u>25.11.10</u>	<p>आंच प्रविष्टन अग्रिम दिनांक 16/3/11 तक है।</p>	<p><u>OUR</u></p>										
		<p><u>OUR</u></p>										

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी
 खरौली के पत्रांक 108 दिनांक 26-7-12 से जांच
 प्रतिवेदन एवं आम ईस्तदार का तामिला प्रति-
 वेदन प्रकाशन के पत्रांतर प्राप्त हुआ है। जांच
 प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि
 क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही ग्राम एवं
 धाना के निवासी हैं एवं एक ही जाति
 सरकार (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य हैं।
 प्रस्तावित भूमि पर विक्रेता का दखल कब्जा है।
 अंचल अधिकारी द्वारा पञ्जागत भूमि का भूमि विक्री
 करने की अनुमति दी गई है। आवेदक द्वारा प्रस्त-
 अतः भूमि विक्री के पत्रांतर भूमिहीन नहीं हो रहे
 हैं। विक्रेता गण द्वारा जारी पत्रक भी दी गई
 है जिसमें विक्रेता गण कबुल किया है कि मैं विक्री
 के वक्तव्य एवं दवाव में आकर भूमि विक्री नहीं
 कर रहा हूँ मैं खेयदा से पिता एवं भाई
 के श्राद्ध कार्य में हुए फर्ज की भरपाई हेतु
 भूमि का विक्री कर रहा हूँ।

अतः अंचल अधिकारी के जांच
 प्रतिवेदन, आम ईस्तदार एवं विक्रेता से ली
 गई गवाही के आधार पर CNT Act
 की धार 46 के तहत विक्रेता घुटरी देवी
 पति सुरेश्वर सिंह एवं घुटरी देवी पति रूपन सिंह
 दोनों सा० सिसरी घा० तोरेलावा धाना खरौली जिला
 गढ़वा के निम्न वर्णित भूमि क्रेता सुरेश्वर सिंह
 कन्हैया सिंह एवं मनोज सिंह तीनों के पिता हरिबंश
 सिंह सा० सिसरी घा० तोरेलावा धाना खरौली जिला
 गढ़वा के लक्ष्य भूमि विक्री करने की अनुमति
 दी जाती है। अवर निबंधक महाभिकारी
 एवं आवेदक का सूचित करें।

ग्राम	खाना	प्लॉट नं	रकबा
सिसरी	36	823	0.82 ³ / ₆


 भूमि सुधार आयोग
 गढ़वा जिला